

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट, हापुड
उपस्थित:- उमाकान्त जिन्दल (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6234)
UPHP010056952023



Sessions Case/1043/2023
State of U.P. Vs. Mahipal
सत्र परीक्षण संख्या 1043 / 2023

सरकार बनाम महिपाल आदि
अर्न्तगत धारा 323 / 34,452,504,506 भा0द0सं0 व
3(2)(va) एस0सी0एस0टी0एक्ट,
थाना गढमुक्तेश्वर, जिला हापुड ।
मु0अ0सं0 167 / 2023

01.03.2024

आदेश (आरोप विरचन के संदर्भ में)

पुकार कराई गई। पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण महिपाल, प्रवीन, गीता, सीता जेरे जमानत उपस्थित। विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना गया। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा अपने केस का खुलासा किया गया और उस साक्ष्य का उल्लेख किया गया जिसके द्वारा उन्हें अभियोजन कथानक सिद्ध करना है ।

पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 323 / 34,452,504,506 भा0द0सं0 व 3(2)(va) एस0सी0 एस0टी0 एक्ट के अधीन आरोप विरचन हेतु पत्रावली पर पर्याप्त प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध है । अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध उक्त धाराओं के अधीन आरोप विरचित किया जाकर वास्ते अभियोजन साक्ष्य पत्रावली दि0 21.03.2024 को पेश हो । अभियोजन साक्षीगण तलब हो ।

दि0 01.03.2024

(उमाकान्त जिन्दल)
अपर सत्र न्यायाधीश /
विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट,
हापुड ।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट, हापुड
उपस्थित:- उमाकान्त जिन्दल (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6234)
UPHP010056952023



Sessions Case/1043/2023
State of U.P. Vs. Mahipal
सत्र परीक्षण संख्या 1043 / 2023

सरकार बनाम महिपाल आदि
अर्न्तगत धारा 323 / 34,452,504,506 भा0दं0सं0 व
3(2)(va) एस0सी0एस0टी0एक्ट,
थाना गढमुक्तेश्वर, जिला हापुड ।
मु0अ0सं0 167 / 2023
आरोप

मैं, उमाकान्त जिन्दल ,अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश एस0सी0
एस0टी0एक्ट,हापुड, एतद्वारा आप अभियुक्तगण महिपाल, प्रवीन, गीता, सीता पर यह
आरोप लगाता हूँ कि :

प्रथमत :- यह कि दिनांक 09.04.2023 को समय करीब 21.40 बजे,मौ0 राजीव
नगर कस्बा व थाना गढमुक्तेश्वर जिला हापुड में आपने वादिनी सिमरन को बुरी –
बुरी गालियां देकर उसे लोकशान्ति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से
अपमानित किया । इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो भा0दं0सं0 की धारा
504 के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस
न्यायालय को प्राप्त है।

द्वितीयत :- यह कि उपरोक्त दिनांक ,समय व स्थान पर वादिनी द्वारा गालियां देने
से मना करने पर आपने वादिनी के घर में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर गृह अतिचार
कारित किया । इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो भा0दं0सं0 की धारा 452
के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस
न्यायालय को प्राप्त है।

तृतीयत:- यह कि उपरोक्त दिनांक ,समय व स्थान पर आपने एक राय होकर
सामान्य आशय से वादिनी के साथ मारपीट कर उपहति कारित की । इसके द्वारा
आपने एक ऐसा कार्य कारित किया जो भा0दं0सं0 की धारा 323/34 के अधीन एक
दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को
प्राप्त है।

चतुर्थतः यह कि उपरोक्त दिनांक ,समय व स्थान पर आपने वादिनी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभिप्रास किया । इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो भा0दं0सं0 की धारा 506 के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है ।

पंचमतः यह कि उपरोक्त दिनांक ,समय व स्थान पर आपने वादिनी , जो कि अनुसूचित जाति की सदस्य है, को मारपीट कर उपहति कारित की, जातिसूचक शब्दों का प्रयोग व गाली गलौच कर अपमानित किया तथा जान से मारने की धमकी दी, इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो धारा 3(2)(va) एस0सी0एस0टी0एक्ट के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है ।

अतएव एतदद्वारा मैं , आपको आदेशित करता हूँ कि उक्त आरोपों के लिये आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जावेगा ।

दि0 01.03.2024

(उमाकान्त जिन्दल)
अपर सत्र न्यायाधीश /
विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट,
हापुड ।

आरोप अभियुक्तगण को पढकर सुनाया एवं समझाया गया ।
अभियुक्तगण ने आरोप को अस्वीकार किया और विचारण की माँग की ।

दि0 01.03.2024

(उमाकान्त जिन्दल)
अपर सत्र न्यायाधीश /
विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट,
हापुड ।

